

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2100] No. 2100] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 28, 2015/आश्विन 6, 1937

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 28, 2015/ASVINA 6, 1937

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2015

का.आ. 2655(अ).—केन्द्रीय सरकार, पशुधन आयात अधिनियम, 1898 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है कि भारत में जीवित गोजातीय पशुओं का आयात इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में अधिकथित रीति में और निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन विनियमित किया जाएगा :-

अनुसूची

- (1) आयात केवल कोलकाता, चैन्नई, मुंबई के समुद्र पत्तनों और कोलकाता, चैन्नई, मुंबई, दिल्ली के हवाई पत्तनों के माध्यम से, जहां पश् करंतीन निरीक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं, अनुज्ञात किया जाएगा ;
- (2) देश में तब तक किसी गोजातीय पशु का आयात नहीं किया जाएगा जब तक निर्यातक देश के सरकारी पशु चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित अंग्रेजी भाषा में स्वास्थ्य प्रमाणपत्र नहीं दिया गया है, जिसमें उसका शारीरिक परीक्षण किया गया है और इस अधिसूचना से उपाबद्ध प्ररूप के अनुसार अपेक्षित सूचना प्रदान की गई है।

4130 GI/2015 (1)

प्ररूप

(1) साधारण सूचना :

1. परेषक	2. परेषिती
1.1 नाम	2.1 नाम
1.2 पता	2.2 पता
1.3 संपर्क सं.	2.3 संपर्क सं.
1.4 ईमेल:	2.4 ईमेल :
3. जारी करने वाला प्राधिकारी	4. गोजातीय का उद्गम
3.1 संदर्भ सं.	4.1 देश
3.2 तारीख	4.2 पता
3.2 मंत्रालय	4.3 संपर्क सं.
3.4 विभाग	4.4 ईमेल:
3.5 प्रांत या जिला	
3.6 देश	
3.7 संपर्क सं.	
3.8 ईमेल :	

5. गोजातीय का गंतव्य स्थान	6. परिवहन की पद्धति
5.1 भारत में सीमा स्तंभ	6.1 पद्धति
5.2 भारत में (पत्तनों के नाम) के माध्यम से पहुंचने वाला	वायुयान/जलयान/सड़कयान/रेल/अन्य (विनिर्दिष्ट करें) :
प्रेषण	
5.3 अंतिम गंतव्य स्थान	
5.3.1 नाम :	
5.3.2 पता :	
5.3.3. संपर्क सं. :	
5.3.4. ईमेल :	
	6.2 परिवहन दस्तावेज ब्यौरे
	7. प्रस्थान की प्रत्याशित तारीख
8. लदान का स्थान	9. मात्रा
8.1 नाम :	9.1 पशुओं की संख्या
8.2 पता :	9.2 प्रेषण का प्रयोजन
8.3 संपर्क सं. :	प्रजनन/प्रदर्शनी/अनुसंधान/अन्य (विनिर्दिष्ट करें)
8.4 ईमेल :	

(II) पशुओं का वर्णन

पशु पहचान संख्या और नस्ल	ब्	ौरा	जन्म तारीख या आयु	लिंग	(गर्भाघान का मास) (यदि लागू हो)
	प्रजनक	मादा			

(III) पशुओं के बारे में साधारण ब्यौरे :

ऊपर पैरा (Ⅱ) में वर्णित गोजातीय पशु

- (i) की पहचान स्थायी रूप से विशिष्ट पशु पहचान संख्या द्वारा की गई है,
- (ii) का जन्म निर्यातक देश में हुआ था और लगातार वहां निवास कर रहा है (रहे है); या या किसी ऐसे देश में जन्म हुआ है जहां निर्यातक देश के समान या उससे बेहतर पशु स्वास्थ्य स्तर है
- (iii) पांच मास से कम गर्भिणी है
- (iv) सामान्य कैरियोटाइप है या
- (v) सभी ज्ञात नस्ल विनिर्दिष्ट आनुवंशिक विकार रोग जिसके अंतर्गत बोविनी लूकोसाइट एडहेजन डेफिशियंसी (बीएलएडी) सिंड्रोम, सिटरलीमेनिया, डेफिशियंसी आफ यूरीडाइन मोनोफास्फेट सिनथेस (डीयूएमपीएस), कांप्लेक्थ वरटेब्रल मेलफोरमेशन (सीवीएम), ब्रेकीस्पिना और फैक्टर XI डेफिशियंसी सिंड्रोम से मुक्त है । निर्यातक देश पशुओं की जेनेटिक मार्कर रिपोर्ट, यदि उपलब्ध हों, भी प्रदान करेगा।

(IV) <u>स्वस्थता सूचना</u> :

अधोहस्ताक्षरी सरकारी पशु चिकित्सक यह प्रमाणित करेगा कि ऊपर पैरा (II) में वर्णित गोजातीय पशु –

- (1) की उस दिन परीक्षा की गई थी और किसी बीमारी के कोई लक्षण प्रकाश में नहीं आए।
- 2. निम्नलिखित अपेक्षाओं (उन अपेक्षाओं को काट दें, जो लागू नहीं होती है) का समाधान करता है

2.1 बोवाइन स्पोंजीफोर्म एनसीफेलोपेथी (बीएसई)

पशु स्वास्थ्य विश्व संगठन (ओआईई) द्वारा देश की सरकारी मान्यताओं के अनुसार किसी ऐसे देश से उत्पन्न होती है जो बहुत कम या नियंत्रित बीएसई जोखिम प्रस्तुत करता है और जिसका जन्म उस तारीख के पश्चात् हुआ हो जब से रोमंथी को मांस और हड्डी, भोजन और रोमंथियों से प्राप्त ग्रीव्स से भोजन देने पर प्रतिबंध प्रभावी रूप से प्रवृत्त हुआ था।

2.2 फुट एंड माउथ डिजीज (एफएमडी)

निर्यातक देश टीकाकरण के बिना एफएमडी (एसएटी-1,2,3 और टाइप-सी) से मुक्त है, पशुओं का निर्यातक देश में जन्म से या कम से कम पिछले तीन महीनों से रखा गया तथा टीकाकरण नहीं किया गया है;

या

यदि पशु का उद्गम टीकाकरण सिहत एफएमडी मुक्त देश से होता है, तो पशु को प्रेषण से तीस दिन पूर्व करंतीन स्टेशन में रखा गया था और करंतीन के प्रारंभ के पश्चात् कम से कम इक्कीस दिन ऋणात्मक परिणाम सिहत फुट एंड माउथ डिजीज वायरस (एफएमडीवी) के लिए नैदानिक परीक्षण के अध्यधीन रखा गया था।

2.3 वेसीक्यूलर स्टोमेटाटिस (वीएस)

जन्म से या कम से कम इक्कीस दिन के लिए किसी वीएस मुक्त देश में रखा गया था।

और

पशु को जन्म से या पिछले इक्कीस दिनों के लिए किसी ऐसे स्थापन में रखा गया था जहां पिछले दो वर्षों के दौरान वीएस का कोई मांदा रिपोर्ट नहीं गिया गया था ;

और

प्रेषण से तीस दिन पूर्व करंतीन स्टेशन में रखा गया था और करंतीन के प्रारंभ से कम से कम इक्कीस दिन पश्चात् ऋणात्मक परिणामों सहित वीएस के लिए नैदानिक परीक्षण के अध्यधीन किया गया था:

और

करंतीन और प्रेषण के स्थान को परिवहन के दौरान इंसेक्ट वैक्टर्स से संरक्षित किया गया था।

2.4 रिफ्ट वैली फीवर (आरवीएफ)

पश् जिसका उद्गम आरवीएफ मुक्त देश से होता है

2.5 लंपी स्किन डिजीज (एलएसडी)

पशु जिसका उद्गम एलएसडी मुक्त देश से होता है

2.6 कंटेजियस बोवाईन प्लोरोन्यूमोनिया (सीबीपीपी)

पशु जिसका उद्गम सीबीपीपी मुक्त देश से होता है

2.7 ब्लूटोंग (बीटी)

पशु जिसको जन्म से बीटी मुक्त देश में रखा गया;

या

निर्यातक देश (देश का नाम) बीटी से मुक्त नहीं है और पशुओं को कम से कम अस्सी दिन के लिए किसी वेक्टर संरक्षित ब्लूटोंग वायरस (बीटीवी) मुक्त स्थापन में क्यूलीकोएडस अटैक्स से संरक्षित किया गया था और तत्पश्चात् बीटीवी समूह के लिए ऋणात्मक परिणामों सहित एंटीबाडी का पता लगाने के लिए कंपेटीटिव एनजाइम लिंकड इम्यूनोसोरबैंड एस्से (ईएलआईएसए) परीक्षण कराया गया था और प्रेषण तक क्यूलीकोएडस संरक्षित बीटीवी मुक्त स्थापन में रखा गया था।

2.8 बोवाइन ट्यूबरक्युलोसिस

पशु जिसका उद्गम बोवाइन ट्यूबरक्युलोसिस से मुक्त देश या क्षेत्र में अवस्थित बोवाइन ट्यूबरक्युलोसिस से मुक्त किसी झुंड से हुआ है ;

या

बोवाइन ट्यूबरक्युलोसिस से मुक्त किसी झुंड से उद्गम हुआ था और बोवाइन ट्यूबरक्युलोसिस के लिए ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट करवाया गया था जिसमें प्रेषण से तीस दिन पूर्व के दौरान ऋणात्मक परिणाम आए थे;

भारत का राजपत्र : असाधारण

करंतीन में कम से कम नब्बे दिन के लिए अलग रखे गए थे और दो ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट (दोनों टेस्टों के बीच न्यूनतम साठ दिन के अंतराल के साथ) ऋणात्मक परिणामों के साथ कराए गए थे ।

2.9 पैराट्यूबरक्युलोसिस

पशु जिसका उद्गम पैराट्यूबरक्युलोसिस मुक्त देश से होता है

या

किसी ऐसे झुंड से उद्गम होता है जिसका पिछले दो वर्षों में क्लिनिकल पैराट्यूबरक्युलोसिस का कोई मामला नहीं था : और

प्रेषण से तीस दिन पूर्व के दौरान डिलेड टाइप हाइपरसेंसीटिविटी (डीटीएच) या एनजाइम लिंकड इम्यूनोसोरबैंड एस्से (ईएलआईएसए) या फीशल कल्चर टेस्ट ऋणात्मक परिणाम सहित कराया गया था ।

2.10 बोवाइन ब्रूसेलोसिस

पशु जिसका उद्गम ब्रूसेलोसिस मुक्त देश से हुआ है,

या

ऐसे झुंड से उद्गम हुआ है जिसमें प्रेषण से छः मास पूर्व के दौरान बोवाइन ब्रूसेलोसिस के कोई क्लिनिकल लक्षण रिपोर्ट नहीं की गई थी ; और

किसी ऐसे क्षेत्र से उद्गम हुआ है जो बोवाइन ब्रूसेलोसिस से मुक्त है या किसी झुंड से जो शासकीय बोवाइन ब्रूसेलोसिस से मुक्त है और जिनका बोवाइन ब्रूसेलोसिस के लिए सिरोलोजिकल टेस्ट करवाया गया था, जिसमें प्रेषण से तीस दिन पूर्व के दौरान ऋणात्मक परिणाम आए है;

या

जिसका उद्गम किसी ऐसे झुंड से हुआ है जो बोवाइन ब्रूसेलोसिस से मुक्त है और प्रेषण से तीस दिन पूर्व के दौरान ऋणात्मक परिणामों सहित बफरड ब्रूसेला एंटीजेन या कोंप्लीमेंट फिक्सेशन और ईएलआईएसए परीक्षण करवाए है :

यदि गोजातीय पशु का उद्गम ऊपर वर्णित से भिन्न किसी झुंड से हुआ है :

प्रेषण से पूर्व अलग रखा गया था और बोवाइन ब्रूसेलोसिस (बफरड ब्रूसेला एंटीजेन या कोंप्लीमेंट फिक्सेशन और एनजाइम लिंकड इम्यूनोसोरबैंड एस्से (ईएलआईएसए) टेस्ट करवाए गए थे जिनके दो अवसरों प्रत्येक टेस्ट के बीच तीस दिन से अन्यून अंतराल सहित ऋणात्मक परिणाम आए है, दूसरा प्रेषण से पंद्रह दिन पूर्व के दौरान करवाया गया है । ये परीक्षण ऐसे मादा पशु पर विधिमान्य नहीं समझे जाएंगे जिसने पिछले चौदह दिन के दौरान व्याना किया है ।

2.11 इन्फेक्शियस बोवाईन राइनोट्रेकीटाईटिस/ इन्फेक्शियस पस्टुराकवल्वो-वेजाइनटाईटिस (आईबीआर/आईपीवी)

पशु जिसका उद्गम आईबीआर/आईपीवी मुक्त देश से होता है,

या

पशु जिसका उद्गम आईबीआर/आईपीवी मुक्त झुंड से होता है;

प्रेषण से तीस दिन पूर्व के लिए करंतीन स्टेशन में रखे गए थे और दो अवसरों पर ऋणात्मक परिणाम सिंहत इक्कीस दिन से अन्यून के अंतराल पर रक्त के नमूने पर इन्फेक्शियस बोवाईन राइनोट्रेकीटाईटिस/ इन्फेक्शियस पस्टुराकवल्वो-वेजाइनटाईटिस (आईबीआर/आईपीवी) के लिए नैदानिक परीक्षण करवाया गया था।

2.12 बोवाइन जेनिटल कैंपीलोबैक्टीरियोसिस

पशु जिसका उद्गम बोवाइन जेनिटल कैंपीलोबैक्टीरियोसिस मुक्त देश से होता है,

या

किसी ऐसे स्थापन में रखे गए थे जिसमें बोवाइन जेनिटल कैंपीलोबैक्टीरियोसिस का कोई मामला घोषित नहीं किया गया है।

(i) मादा गोजातीय पशु के लिए

पशु या तो अक्षत कलोर है या कौजल एजेंट की उपस्थिति हेतु वेजाइनल म्यूकस का कल्चर ऋणात्मक सिद्ध हुआ हो।

(ii) नर गोजातीय पशु के लिए

प्राकृतिक गर्भाधान के लिए कभी उपयोग में नहीं लाए गए हो और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन आफ दि कल्चर आफ प्रीपुशअल वाशिंग एंड सीमेन (लैंगिंक रूप से परिपक्व पशुओं के लिए) कौजल एजेंट की उपस्थिति ऋणात्मक सिद्ध हुई हो।

2.13 ट्राइकोमोनोसिस

पशु जिसका उद्गम ट्राइकोमोनोसिस मुक्त देश से होता है

या

किसी ऐसे झुंड में रखे गए थे जिनमें ट्राइकोमोनोसिस का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है।

(i) मादा गोजातीय पशु के लिए

पशु या तो अक्षत कलोर है या डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन और कौजल एजेंट की उपस्थिति हेतु वेजाइनल म्यूकस का कल्चर ऋणात्मक सिद्ध हुआ हो ।

(ii) नर गोजातीय पशु के लिए

प्राकृतिक गर्भाधान के लिए कभी उपयोग में नहीं लाए गए हो और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन आफ दि कल्चर आफ प्रीपुशअल वाशिंग एंड सीमेन (लैंगिंक रूप से परिपक्व पशुओं के लिए) कौजल एजेंट की उपस्थिति ऋणात्मक सिद्ध हुई हो।

2.14 एनजूटिक बोवाइन ल्यूकोसिस (ईबीएल)

पशु जिसका उद्गम ईबीएल मुक्त देश, जोन या कंपार्टमेंट से होता है

या

किसी ऐसे झुंड से उद्गम हुआ है जिनमें या तो क्लिनिकल, पोस्टमार्टम या पूर्ववर्ती दो वर्ष के भीतर ईबीएल हेतु किसी नैदानिक परीक्षण के परिणामस्वरूप का कोई साक्ष्य नहीं है

या

सभी गोजातीय पशु जिनकी आयु चौबीस मास से अधिक थी का पशु चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी अलग एकक में झुंड से पृथक स्थिति के दौरान दो बार चार मास के अंतराल पर, अंतिम परीक्षण प्रेषण से तीस दिन पूर्व के भीतर करवाते हुए परीक्षण कराए गए थे।

या

यदि दो वर्ष से कम आयु के गोजातीय पशु 'यूटरीन' मादाओं से उत्पन्न होते है, जिनका पूर्ववर्ती बारह मास के भीतर दो बार रक्त नमूने पर ईबीएल नैदानिक परीक्षण करवाया गया है, जिनमें से अंतिम टेस्ट प्रेषण से तीस दिन पूर्व के भीतर करवाया गया है; और पशु का कम से कम तीस दिन की अवधि के भीतर, परीक्षणों के भीतर, जिनमें आखिरी परीक्षण प्रेषण से तीस दिन पूर्व के भीतर कराया गया है।

2.15 बोवाइन वायरल डायरिया

करंतीन से पूर्व पशु वायरस आईसोलेशन टेस्ट या वायरस एंटीजेन के लिए परीक्षण द्वारा ऋणात्मक सिद्ध हुए है और करंतीन में इक्कीस दिन के पश्चात् पशुओं का वायरस आईसोलेशन टेस्ट या वायरस एंटीजेन के लिए परीक्षण कराया गया था जिसमें ऋणात्मक परिणाम आए हो और कोई सीरो-कन्वर्जन न हो।

2.16 मेलिगनेंट कैटरल फीवर (एमसीएफ)

एमसीएफ से मुक्त किसी देश से उद्गम होता है ;

या

किसी ऐसे झुंड से उद्गम होता है जिसका पिछले दो वर्षों के दौरान एमसीएफ का कोई मामला नहीं था और जिनका प्रेषण तीस दिन पूर्व के दौरान ऋणात्मक परिणाम सहित नैदानिक परीक्षण करवाया गया था ।

2.17 स्केमेलेनवर्ग वायरस

स्केमेलेनवर्ग वायरस संक्रमण का मामला कभी भी देश में अभिलिखित नहीं किया गया है

या

करंतीन से पूर्व सभी पशुओं एजेंट आइडेंटीफिकेशन पोलीमरेज चेन रियक्शन (पीसीआर) और एंटीबोडी डिटेक्शन एनजाइम लिंकड इम्यूनोसोरबैंड एस्से (ईएलआईएसए) द्वारा ऋणात्मक सिद्ध किए गए थे और करंतीन में इक्कीस दिन के पश्चात् पशुओं का पुनः एजेंट आइडेंटीफिकेशन पीसीआर और एंटीबोडी डिटेक्शन ईएलआईएसए परीक्षण ऋणात्मक परिणामों सहित करवाए गए थे।

2.18 लेप्टोस्पीरोसिस

गोजातीय पशु निर्यातक देश में पशुओं में प्रचलित माइक्रोस्कोपिक एगल्यूटिनेशन टैस्ट (एमएटी) द्वारा सभी प्रचलित सेरोवार्स लेप्टोस्पाइरस के लिए ऋणात्मक परीक्षित पाए गए

या

पशुओं को लेप्टोस्पीरोसिस के उपचार के लिए पूरा कोर्स करवाया गया था।

(V) निर्यात पूर्व करंतीन - रोग परीक्षण और नियंत्रण

(1) पशुओं का न्यूनतम तीस दिन की अवधि के लिए निर्यातक देश की सरकार द्वारा अनुमोदित किसी करंतीन स्टेशन में पूर्व निर्यात करंतीन में रखा गया था।

- (2) पशुओं को उपचार के लिए पूरा कोर्स करवाया गया है, यदि निम्नलिखित के लिए अपेक्षित हो :
- (i) एनाप्लास्मोसिस, (ii) बेबेसियोसिस (iii) लीवर फ्ल्यूक इनफैस्टेशन (iv) इंटर्नल एंड एक्सटर्नल पैरासाइटिक इनफैस्टेशन
- (3) निर्यात पूर्व करंतीन के दौरान पशुओं का निम्नलिखित परीक्षणों के लिए ऋणात्मक परिणामों सिहत निर्यातक देश (जो भी लागू हो)* द्वारा अनुमोदित या प्रत्यायित किसी प्रयोगशाला में परीक्षण करवाये गए थे । ऐसे रोगों के लिए परीक्षण अपेक्षित नहीं होंगे जिनके लिए देश स्वातंत्रय प्रमाणित की गई है ।

रोग	परीक्षण	परीक्षण 1 की तारीख (निर्यात पूर्व करंतीन में प्रवेश से पूर्व)	
एफएमडी	एसएनटी/एनएसपी ईएलआईएसए		
वैसीकुलर स्टोमैटाइटिस	सीएफ/ ईएलआईएसए/वीएन		
ब्लूटंग	एजेंट आईडी/कंपैटिटिव ईएलआईएसए/ पीसीआर		
बोवाइन टयूबरक्लोसिस	टयूबरक्यूलिन डीटीएच		
पैराटयूबरक्लोसिस	डीटीएच/ ईएलआईएसए/फिशल कल्चर		
बोवाइन ब्रयूसैलोसिस	बीबीएटी/सीएफटी/ ईएलआईएसए/एफपीए		
बोवाइन जैनिटल कैंपीलोबैक्टीरियोसिस	एजेंट आईडी		
ट्राइकोमोनोसिस	एजेंट आईडी		
एन्जूटिक बोवाइन लूकोसिस	एजीआईडी/ ईएलआईएसए/पीसीआर		
बोवाइन वायरल डायरिया	एजेंट आईडी		
बीवीडी सिरोलोजी	वीएन/ ईएलआईएसए		
मैलिंगनेन्ट कैटरल फीवर	आईएफए/पीसीआर		
रिफट वैली फीवर	वायरस न्यूट्रालाइजेशन (वीएन)		
लंपी स्किन डिजीज	वायरस न्यूट्रालाइजेशन (वीएन)		
कंटेजियस बोवाइन प्लूरोन्यूमोनिया	कंप्लीमेंट फिक्सैशन या ईएलआईएसए		
स्कमैलनबर्ग वायरस	पी सीआर		
स्कमैलनबर्ग सिरोलोजी	ईएलआईएसए या वीएन		
लैप्टोस्पीरोसिस	एम ए टी		

^{*}उन परीक्षणों को काट दें जो नहीं करवाए गए थे । परीक्षण के परिणामों की प्रति संलग्न की जाएगी ।

4. अनुमोदित निर्यात पूर्व करंतीन से प्रस्थान के पत्तन को पशुओं के परिवहन से पूर्व पशुओं के परिवहन के लिए उपयोग में लाया गया यान साफ किया गया था और समुचित पशु चिकित्सक प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित रोगाणुनाशक से रोगाणुमुक्त किया गया था।

हस्ताक्षर:	पता :
नाम :	

पद का नाम :

तारीख :

शासकीय मुद्रा फोन नं.

फैक्स :

ई – मेल :

(vi) आयातोत्तर अपेक्षाएं -

- (i) भारत में आगमन पर परेषण और दस्तावेज क्षेत्रीय अधिकारी या करंतीन अधिकारी द्वारा परीक्षित किए जाएंगे ।
- (ii) गोजातीय पशु सरकारी करंतीन पिरसरों में तीस दिन की न्यूनतम अविध के लिए निर्यातक अभिकरण के खर्चे पर रखे जाएंगे और उनकी करंतीन अधिकारी द्वारा किसी सांसर्गिक या संक्रामक रोगों और निर्यातक देश में प्रचलित ईको-पैरासाइटस रोग विशेष की उपस्थिति के साक्ष्य हेतु क्लिनिकल परीक्षण करवाए जाएगें।
- (iii) रोगों के धनात्मक निष्कर्षों की दशा में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्यातक अभिकरण के खर्चे पर समृचित कार्रवाई की जाएगी ।
- (iv) गोजातीय पशुओं के साथ सूखी घास, घासफूस, संस्तरण और चारा भारत में आगमन पर निर्यातक अभिकरण द्वारा भस्मीकरण द्वारा अवश्य नष्ट किये जाएंगे ।
- (v) करंतीन के दौरान गोजातीय पशु निर्यातक अभिकरण द्वारा फुट एंड माउथ डिजीज, हिमोरैजिक सैप्टीकीमिया,ब्लैक क्वाटर्स एंड थिलेरियोसिस के विरुद्ध प्रतिरक्षित किए जाएंगे।

[फा. सं. 102-69/2007-ट्रेड]

राजबीर सिंह राणा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2015

S.O. 2655(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Livestock Importation Act, 1898 the Central Government hereby directs that the import of live bovine animals into India shall be regulated in the manner laid down in the Schedule annexed to this notification and subject to the conditions -

SCHEDULE

- (1) that the imports shall be allowed only through the sea ports of Kolkata, Chennai, Mumbai and airports of Kolkata, Chennai, Mumbai, Delhi where animal quarantine inspection facilities are available;
- (2) that no bovine animals shall be imported into the country unless certified by a certificate of health in English language signed by an official veterinarian of the exporting country in which physical examination of the same was made and the requisite information is provided as per the Form annexed to this notification.

FORM

(I) General Information.

1 Consignor	2 Consignee
1.1. Name	2.1. Name
1.2. Address	2.2. Address
1.3. Contact no.	2.3. Contact no.
1.4. Email:	2.4. Email:
3 Issuing authority	4 Origin of bovine
3.1. Reference No.	4.1. Country
3.2. Date	4.2. Address
3.3. Ministry	4.3. Contact no.

3.4. Department	4.4. Email:
3.5. Province or District	T.T. Linan.
3.6. Country	
•	
3.7. Contact no.	
3.8. Email:	
5. Destination of bovine	6. Mode of transport
5.1. Border post in India:	6.1. Mode :
5.2. Shipment arriving in India via (name	Aeroplane / Ship / Road vehicle / Railway / Other
ports):	(specify):
5.3. Final destination:	
5.3.1. Name:	6.2. Transport document details:
5.3.2.Address:	
5.3.3.Contact no:	
5.3.4. Email:	7. Expected date of departure:
8. Place of loading	9.Quantity
8.1. Name:	9.1. Number of animals:
8.2. Address:	9.2. Purpose of shipment:
8.3. Contact no:	Breeding / Exhibition / Research / Other (specify):
8.4. Email:	

(II) Description of animals

Animal	Detai	il of	Date of birth	Sex	Month of pregnancy
identification	Sire	Dam	or age		(if applicable)
number and Breed					

(III) General details about the animal:

The bovine animal mentioned at paragraph (II) above -

- (i) is permanently identified by a unique animal identification number;
- (ii) was born and have been continually residing in the exporting country; or was born in a country having equal or better animal health status than the exporting country;
- (iii) is less than five months pregnant;
- (iv) has normal karyotype; or
- (vi) is free of the all known breed specific genetic disorders including-

Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency (BLAD) Syndrome, Citrullinaemia, Deficiency of Uridine Monophosphate Synthase (DUMPS), Complex Vertebral Malformation (CVM), Brachyspina and Factor XI deficiency syndrome.

The exporting country may also provide the Genetic Marker Report of the animal if available.

(IV) Sanitary information:

The official veterinarian certifies that the bovine animal described at paragraph (II) above-

- 1. was examined on that day and showed no sign of any disease.
- 2. satisfies the following requirements (delete the requirement which are not applicable).

2.1. Bovine spongiform encephalopathy (BSE)

originates from a country posing a negligible or controlled Bovine spongiform encephalopathy (BSE) risk as per the official recognition of the country by World Organization for Animal Health (OIE) and was born after the date from which the ban on the feeding of ruminants with meat-and-bone meal and greaves derived from ruminants was effectively enforced.

2.2. Foot and mouth disease (FMD)

the exporting country is free from Foot and mouth disease (SAT-1,2,3 and Type-C) without vaccination, the animal was kept in the exporting country since birth or for at least the past three months and has not been vaccinated:

or

if animal originates from FMD free country with vaccination, the animal was kept in a <u>quarantine station</u> for the thirty days prior to shipment and was subjected to a diagnostic test for Foot and mouth disease virus (FMDV) with negative results at least twenty-one days after the commencement of quarantine.

2.3. Vesicular stomatitis (VS)

was kept since birth or for at least the past twenty-one days in a VS free country;

or

animal was kept, since birth or for the past twenty-one days in an establishment where no case of VS was reported during last two years; and was kept in quarantine station for the thirty days prior to shipment and was subjected to diagnostic test for VS with negative results at least twenty-one days after the commencement of quarantine; and was protected from insect vectors during quarantine and transportation to the place of shipment.

2.4. Rift valley fever (RVF)

animal originates from a RVF free country.

2.5. Lumpy skin disease (LSD)

animal originates from a LSD free country.

2.6. Contagious bovine pleuropneumonia (CBPP)

animal originates from a CBPP free country.

2.7. Bluetongue (BT)

animal was kept in a BT free country since birth;

or

the country of export (name of country) is not free from BT and animal was protected from Culicoides attacks in a vector protected Blue tongue virus (BTV) free establishment for at least twenty eight days and then subjected to a Competitive Enzyme Linked Immunisorbent Assay (ELISA) test to detect antibody to the BTV group with negative results and remained in the Culicoides protected BTV free establishment until shipment.

2.8. Bovine tuberculosis

animal originates from a herd free from Bovine tuberculosis located in a country or zone free from bovine tuberculosis;

or

originates from a herd free from Bovine tuberculosis and was subjected to the tuberculin test for Bovine tuberculosis with negative results during thirty days prior to shipment;

or

has been isolated for at least ninety days in the quarantine and was subjected to two tuberculin tests (with a gap of minimum sixty days between the two tests) with negative results.

2.9. Paratuberculosis

animal originates from Paratuberculosis free country;

or

originates from a herd that had no case of clinical Paratuberculosis in the last two years; and was subjected to Delayed Type Hypersensitivity (DTH) or Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) or Faecal Culture Test with negative result during thirty days prior to shipment.

2.10. Bovine brucellosis

animal originates from Brucellosis free country;

or

originates from a herd in which no clinical sign of Bovine brucellosis was reported during the six months prior to shipment; and

originates from a zone free from Bovine brucellosis, or from a herd officially free from bovine brucellosis and was subjected to a serological test for bovine brucellosis with negative results during the thirty days prior to shipment;

or

originates from a herd free from bovine brucellosis and was subjected to Buffered Brucella Antigen or Complement Fixation, and ELISA tests with negative results during the thirty days prior to shipment;

if the bovine animal originates from a herd other than those mentioned above:

was isolated prior to shipment and was subjected to a serological test for bovine brucellosis (Buffered Brucella Antigen or Complement Fixation test, and Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA), with negative results on two occasions, with an interval of not less than thirty days between each test, the second test being performed during the fifteen days prior to shipment. These tests are not considered valid in female animal which has calved during the past fourteen days.

2.11. Infectious bovine rhinotracheitis/Infectious pustularvulvo-vaginitis (IBR/IPV)

animal originates from IBR/IPV free country;

or

animal originates from an IBR/IPV free herd;

or

was kept in a quarantine station for the thirty days prior to shipment and was subjected to a diagnostic test for Infectious bovine rhinotracheitis / Infectious Pustularvulvo-vaginitis (IBR/IPV) on a blood sample on two occasions with negative results, at an interval of not less than twenty one days.

2.12. Bovine genital campylobacteriosis

animal originates from Bovine genital campylobacteriosis free country,

or

was kept in an establishment in which no case of Bovine genital campylobacteriosis has been declared-

(i) For female bovine

animal is either virgin heifer, or the culture of vaginal mucus for the presence of the causal agent proved negative.

(ii) For male bovine

has never been used for natural service, and microscopic examination of the culture of preputial washing and semen (for sexually mature animal) for the presence of the causal agent proved negative.

2.13. Trichomonosis

animal originates from Trichomonosis free country;

or

was kept in a herd in which no case of Trichomonosis has been reported.

(i) For female bovine

animal is either virgin heifers, or the direct microscopic examination and culture of vaginal mucus for the presence of causal agent proved negative.

(ii) For male bovine

has never been used for natural service, and microscopic examination of the culture of preputial washing and semen (for sexually mature animals) for the presence of the causal agent proved negative.

2.14. Enzootic bovine leucosis (EBL)

originates from a country, zone or compartment free from EBL;

or

originates from a herd in which there has been no evidence of either clinical, post-mortem, or as a result of a diagnostic test for EBL within the previous two years;

01

all bovine animals over twenty four months of age were tested on two occasions while segregated from the herd in an isolation unit approved by the veterinary authority at an interval of four months with last test conducted within thirty days prior to shipment.

01

If less than two years of age the bovine animals come from 'Uterine' dams which have been subjected to a diagnostic test for EBL on a blood sample on two occasions within the preceding twelve months with last test conducted within thirty days prior to shipment; and the animal itself has been tested twice at an interval of at least thirty days between the tests with the last test conducted within thirty days prior to shipment.

2.15. Bovine viral diarrhoea (BVD)

before quarantine, animal was proved negative by virus isolation test or a test for virus antigen and,

after twenty one days in quarantine animal was subjected to virus isolation test or a test for virus antigen with negative result and no sero-conversion.

2.16. Malignant catarrhal fever (MCF)

originates from a country free from MCF;

or

originates from a herd that had no case of MCF in the last two years and was subjected to a diagnostic test with negative result during thirty days prior to shipment.

2.17. Schmallenberg virus (SBV)

Schmallenberg virus infection has never been recorded in the country;

or

before quarantine, all animals were proved negative by agent identification Polymerase Chain Reaction (PCR) and antibody detection Enzyme Linked Immunisorbent Assay (ELISA) and after twenty one days in quarantine, animal(s) was again subjected to agent identification PCR and antibody detection ELISA with negative results.

2.18. Leptospirosis

the bovine animal was tested negative for all prevalent serovars of Leptospires prevalent in cattle in the exporting country by Microscopic Agglutination Test (MAT);

animal was given a complete course of treatment for leptospirosis.

(V). Pre-export quarantine – disease testing and control:

- (1) Animal has been subjected to a pre-export quarantine for a minimum of thirty days duration in a quarantine station approved by the government of the exporting country.
- (2) Animal has been given a complete course of treatment if required for:
- (i) Anaplasmosis, (ii) Babesiosis, (iii) Liver Fluke infestations, (iv) Internal and External parasitic infestations.
- (3) During the pre-export quarantine, animal was subjected to the following tests with negative results in a laboratory approved or accredited by the exporting country (whichever applicable)*. Testing is not required for diseases for which country freedom has been certified.

Disease	Test	Date of test 1 (Before entry into pre-export quarantine)	Date of test 2 (During pre- export quarantine)
Foot and Mouth Disease(FMD)	SNT / NSP ELISA	quarantene	quarument)
Vesicular stomatitis	CF / ELISA / VN		
Bluetongue	Agent Id. / Competitive ELISA/PCR		
Bovine tuberculosis	Tuberculin DTH		
Paratuberculosis	DTH / ELISA/Faecal Culture		
Bovine brucellosis	BBAT / CFT / ELISA/FPA		
IBR/IPV	VN / ELISA		
Bovine genital campylobacteriosis	Agent Id.		
Trichomonosis	Agent Id.		
Enzootic bovine leucosis	AGID / ELISA/PCR		
Bovine viral diarrhea (BVD)	Agent Id.		
BVD serology	VN / ELISA		
Malignant catarrhal fever	IFA / PCR		
Rift valley fever	Virus Neutralization (VN)		
Lumpy skin disease	Virus Neutralization (VN)		
Contagious bovine	Complement Fixation or		
pleuropneumonia	ELISA		
Schmallenbergvirus	PCR		
Schmallenberg Serology	ELISA or VN		
Leptospirosis	MAT		

^{*} Delete the test which was not performed. A copy of the test result is to be attached.

(4) Before transportation of animal from the approved pre-export quarantine to the port of departure, the vehicle used for transportation of animal was cleaned and disinfected with a disinfectant approved by the appropriate veterinary authority.

Signature :	Address
Name:	
Official position:	
Date:	
Official stamp	
	Phone:
	Fax :
	Email:

(VI). Post-import requirements:

- On arrival in India, the consignment and the documents will be examined by the Regional Officer or Quarantine Officer.
- (ii) The bovine animal shall be kept in Government Quarantine premises for a minimum period of thirty days at the cost of importing agency and subjected to clinical examination and other tests by Quarantine Officer for evidence of any contagious or infectious diseases and presence of ectoparasites, specially diseases which are prevalent in the exporting country.
- (iii) In case of positive findings for diseases, appropriate action shall be taken by the Department of Animal Husbandry and Dairying, Fisheries Government of India at the cost of importing agency.
- (iv) The hay, straws, bedding and feed accompanying the bovine animal must be destroyed by incineration on arrival in India by the importing agency.
- (v) The bovine may be immunized against, Foot and Mouth Disease (FMD), Haemorrahgic Septicaemia (HS), Black Quarters (BQ) and Theileriosis during quarantine by the importing agency.

[F. No. 102-69/2007-Trade]

RAJBIR SINGH RANA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2015

का.आ. 2656(अ).—केंद्रीय सरकार, पशुधन आयात अधिनियम, 1898 की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि जीवेगोजातीय भ्रूण का भारत में आयात, इस अधिसूचना से उपाबंध अनुसूची में निर्धारित रीति से विनियमित होगा:

अनुसूची

- (1) जीवे गोजातीय भ्रूण का आयात केवल मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई समुद्र पत्तन या कोलकाता, चेन्नई, मुम्बई, दिल्ली, हैदराबाद और बंगलौर विमानपत्तन द्वारा, जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए, के माध्यम से अनुज्ञात किया जाएगा, जहां पशु करंतीन निरीक्षण सुविधा उपलब्ध है;
- (2) देश में गोजातीय भ्रूण का कोई आयात तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक उसे निर्यात करने वाले देश के सरकारी पशु चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित अंग्रेजी भाषा में स्वास्थ्य प्रमाणपत्र द्वारा प्रमाणित नहीं कर दिया गया हो । जो गोजातीय भ्रूण अपेक्षाओं को पूरा करते है और अपेक्षित जानकारी इस अधिसूचना से उपाबद्ध प्ररूप में दी गई है ।

प्ररूप

(I) साधारण सूचना

1. प्रेषक (पूरा नाम और पता)	2. स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सं. :
1.1 संपर्क सं	तारीख:
1.2 ई-मेल	
3. प्रेषिती (पूरा नाम और पता)	4. मूल देश
3.1 संपर्क सं.	
3.2 ई-मेल	
5. सक्षम प्राधिकारी	6. लदान का स्थान :
5.1 मंत्रालय :	
5.2 विभाग	

5.3 संपर्क सं.	
5.4 ई-मेल	
7. दाता मादा और प्रजनक से संबंधित सूचना :	8. भ्रूण से संबंधित सूचना
नस्ल:	संग्रहण करने की तारीख :
नाम :	परिमाण :
जन्म तारीख :	पैकिंग का प्रकार
जन्म स्थान :	पैकेजों की संख्या :
पहचान के चिन्ह :	पैकिंग के ब्यौरे (सी.ए.एन. आई.डी.) :
गोवृन्द/घोड़ा पुस्तक में रजिस्ट्रीकृत प्रविष्टि :	संग्रहण दल :
9. रजिस्ट्रीकरण/प्रत्यायन प्राधिकारी का नाम और पता	10. गंतव्य का स्थान
9.1 संपर्क सं.	(पूरा नाम और पता)
9.2 ई-मेल	
11. परिवहन का ढंग	

(II) स्वच्छता सूचना

अधोहस्ताक्षरी पश् चिकित्सा पदधारी प्रमाणित करता है कि ;

- (1) देश, पाद और मुख रोगों (सी-प्रकार, एस.ए.टी.-1, 2, 3), सांसर्गिक गोजातीय पेल्यूरों निमोनिया, पिण्डित त्वचा रोग और रिफ्ट वैली बुखार से मुक्त है।
- (2) दाता प्रजनक--
 - (क) संग्रहण की तारीख को रोग का कोई चिन्ह नहीं दर्शाता है।
 - (ख) निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी करता है :

(i) गोजातीय क्षयरोग (टी.बी.):

जन्म से क्षयरोग (टी.बी.) मुक्त देश या क्षेत्र में रखा गया था

या

गोवृन्द को क्षयरोग मुक्त और नकारात्मक परिणामों के साथ क्षयरोग परीक्षण के अध्यधीन रखा गया था जो भ्रूण संग्रहण के पश्चात् इक्कीस से साठ दिवसों में किया गया था

या

दो क्षयरोग परीक्षणों के अध्यधीन रखा था (परीक्षणों के बीच न्यूनतम साठ दिवसों के अंतराल के साथ) पहला परीक्षण भ्रूण संग्रहण के पश्चात् इक्कीस दिवसों से साठ दिवसों के भीतर प्रारंभ किया गया हो

(ii) ट्राइकोमोनोसिस:

जन्म से ट्राइकोमोनोसिस मुक्त देश में रखा गया था

या

दाता के गर्भाधान के लिए उपयोग किया गया वीर्य ट्राइकोमोनोसिस मुक्त प्रमाणित सांड से लिया गया है और दाता कभी भी प्राकृतिक प्रजनन के अध्यधीन नहीं रही है भ्रूण संग्रहण के पश्चात् इक्कीस से साठ दिवसों के भीतर, ट्राइकोमोनोसिस के कारणात्मक कारक की उपस्थिति के लिए सीधी सूक्ष्मदर्शी परीक्षा और योनिक श्लेष्मा कल्चर नकारात्मक परिणामों के साथ संचालित किया गया था

(iii) पराक्षय रोग:

जन्म से पराक्षय रोग मुक्त देश में रखा गया था

या

भ्रूण संग्रहण के पश्चात् इक्कीस से साठ दिवसों के भीतर, डिलेड टाइप हाईपरसेंसेविटी परीक्षण (डी.टी.एच.), फेकल कल्चर या एलिसा परीक्षण नकारात्मक परिणाम के साथ के अध्यधीन रखा गया था

(iv) स्कीमेलेनबर्ग विषाणु संक्रमण:

जन्म से ऐसे देश में रखा गया जहां कभी स्कीमेलेनबर्ग विषाण संक्रमण रिपोर्ट नहीं किया गया

या

भ्रूण संग्रहण के पश्चात् इक्कीस से साठ दिवसों के भीतर, सीरम संबंधी एन्जाइम लिंक्ड इक्युनोसोरबैड ऐसी (ऐलिया) या विषाणु निष्प्रभावीकरण परीक्षण के अध्यधीन रखा गया था ।

- (3) भ्रूण पशु चिकित्सक के पर्यवेक्षण के अधीन तकनीकियों द्वारा संग्रहित किया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय भ्रूण अंतरण संस्था (आई.ई.टी.एस.) की सिफारिश के अनुसार स्वास्थ्यकर और अपूतित पूर्वावधानियों के अनुसरण में सरकार या भ्रुण अंतरण (ई.टी.) संस्था या संघ द्वारा प्रमाणित भ्रुण अंतरण व्यवसायी हो ।
- (4) भ्रूण को ऐसी प्रयोगशाला में प्रसंस्कृत किया जाएगा जिसमें कृत्तक और कीट के विरुद्ध प्रभावी सुरक्षा हो । उस समय निम्न स्वास्थ्य प्रास्थिति का कोई भ्रूण प्रसंस्कृत नहीं किया जाएगा । प्रयोगशाला पशुचिकित्सक के सीधे नियंत्रण में होगी और उसका पशुचिकित्सा पदधारी द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण किया जाएगा ।
- (5) भ्रूण ऐसे दाता से संग्रहित किया जाएगा,--
- (क) जिसका संग्रहण के समय पशुचिकित्सक द्वारा निरीक्षण किया गया है और पशु के पारषेणीय सांसर्गिक और संक्रामक रोगों से मुक्त होने की पुष्टि की गई हो
- (ख) वह निर्यातक देश (देश का नाम) में जन्मा था और वहां लगातार निवास कर रहा है ;

य

वह निर्यातक देश (देश का नाम) के समान या उससे बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रास्थिति वाले देश (देश का नाम) में जन्मा था और पिछले छह मास से अधिक के दौरान निर्यातक देश में विधिक रूप से आयात किया गया था।

- (6) भ्रूण संग्रहण के पश्चात् न्यूनतम तीस दिवसों की अविध के लिए द्रव्य नाईट्रोजन में रखा गया था।
- (7) दाता पशुओं के गर्भाधान के लिए उपयोग किया गया वीर्य, दाता सांड, जो भारत में गोजातीय वीर्य के आयात के लिए पशुचिकित्सा प्रमाणपत्र में उल्लिखित अपेक्षाओं को पूरा करता हो, से व्युत्पन्न किया गया है ।
- (8) प्रत्येक भ्रूण का जोना पेलुसीड़ा उसके पूर्ण सतही क्षेत्र पर परीक्षित किया गया है अक्षत और आसंजक सामग्री से मुक्त पाया गया और पशु स्वास्थ्य के लिए वैश्विक संगठन (ओ.आई.ए.) स्थलचर पशु स्वास्थ्य संहिता के अनुसरण में ट्राईस्पिन द्वारा धोया और उपचारित किया गया था ।
- (9) भ्रूण संग्रहण, धृति, हिमीकरण माध्यम विसंक्रमित और सूक्ष्म जीवों से मुक्त होंगे ; और
- (10) भ्रूण पशुचिकित्सा प्रशासन द्वारा अनुमोदित भंडारण स्थान में सुनिश्चित स्वच्छता दशाओं के अधीन और नए या विसंक्रमित द्रव्य नाइट्रोजन आधान में विसंक्रमित स्ट्रा में रखा गया है ।

(11) स्ट्रा हिमीकरण के समय मुद्रांकित किए गए है और अंतर्राष्ट्रीय भ्रूण अंतरण संस्था (आई.ई.टी.एस.) निर्देशिका के अनुसार उन पर लेबल लगाया गया है ।

(12) दाता पर किए गए परीक्षणों के ब्यौरे (परिणामों की एक प्रति संलग्न की जाए)

दाता गाय	गोजातीय क्षयरोग		ट्राइकोमोनोसिस	पराक्षय रोग स्कीमेलेनबर्ग विषाणु संक्रमण					
	परीक्षण 1 की तारीख	परीक्षण 2 की तारीख	परीक्षण की तारीख	परीक्षण का नाम	परीक्षण की तारीख	परीक्षण का नाम	परीक्षण की तारीख		

ंउस रोग की बाबत कोई परीक्षण आवश्यक नहीं है, जिसके लिए स्वातंत्रय प्रास्थिति प्रमाणित की गई है ।

टाका ाटप्पणा :	
शासकीय मुद्रा :	
	तारीख को जारी किया गया ।
	पशु चिकित्सक का नाम और पता
	हस्ताक्षर

III पश्च आयात अपेक्षाएं :

- (1) परेषण और दस्तावेजों के पहुंचने पर क्षेत्रीय या करंतीन अधिकारी द्वारा परीक्षित किया जाएगा ।
- (2) भारत में पहुंचने पर, रोगों, जिसके अंतर्गत गोजातीय विषाणुजन्य डायरिया, संक्रमित राइनोट्रेकिटिस और ब्रूसेलेसिस के परीक्षण के लिए नमूने एकत्रित किए जा सकेंगे।
- (3) यदि, दस्तावेज और परीक्षण अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है और भ्रूण, पशु स्वास्थ्य विनिर्देशों (ओ.आई.ई.) के लिए वैश्विक संगठन के अनुसार नहीं है, भारत सरकार के पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग द्वारा, आयात करने वाले अभिकरण की लागत पर, समुचित कार्यवाही की जाएगी।

[फा. सं. 102-69/2007-व्यापार]

राजबीर सिंह राणा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2015

S.O. 2656(E).—In exercise of the powers conferred by section 3A of the Livestock Importation Act, 1898 the Central Government hereby directs that the import of in vivo bovine embryos into India shall be regulated in the manner laid down in the Schedule annexed to this notification and subject to the conditions—

SCHEDULE

- (1) that import of in vivo bovine embryos shall be allowed only through the sea ports of Mumbai, Kolkata and Chennai and airports of Kolkata, Chennai, Mumbai, Delhi, Hyderabad and Bangalore as may be notified by the Government from time to time, where animal quarantine inspection facilities are available;
- (2) that no import of bovine embryos shall be allowed into the country unless certified by a certificate of health in English language signed by an official veterinarian of the exporting country in which bovine embryos fulfill requirements and the requisite information is provided in the Form annexed to this notification.

FORM

(I) GENERAL INFORMATION

1. Consignor (Name and address in full)	2. Health certificate
1.1. Contact No.	No: Date:
1.2. Email.	
3.Consignee (Name and address in full)	4. Country of origin
3.1. Contact No:	
3.2. Email:	
5. Competent Authority	6. Place of loading:
5.1. Ministry:	
5.2. Department:	
5.3. Contact No:	
5.4. Email:	
7. Information concerning donor dam and sire :	8. Information concerning Embryo
Breed:	Date of collection:
Name:	Quantity –
Date of Birth:	Type of Packing —
Place of Birth:	No of Packages:
Identification marks:	Packing details (CAN ID):
Registered entry in the herd /stud book:	Collection Team:
9. Name and address of the Registration/	10. Place of destination (Name and address in full)
Accreditation authority	
9.1. Contact No.	
9.2. Email.	
11. Mode of Transport	

(II) Sanitary information:

The undersigned Official Veterinarian certifies that-

- (1) the country is free from Foot and mouth disease (Type C, SAT-1,2,3), Contagious bovine pleuropneumonia, Lumpy skin disease and Rift valley fever.
- (2) the donor dam-
- (a) shows no sign of disease on the day of collection.
- (b) satisfies the following requirements:

(i) Bovine tuberculosis (TB):

was kept in a Tuberculosis (TB) free country or zone since birth;

01

was kept in a Tuberculosis (TB) free herd and was subjected to a tuberculin test with negative results, performed within twenty one to sixty days after embryo collection;

or

was subjected to two tuberculin tests (with a gap of minimum sixty days between the tests), first test starting within twenty one days to sixty days after the embryo collection.

(ii) Trichomonosis:

was kept in a Trichomonosis free country since birth;

or

the semen used to fertilize the donor comes from a certified Trichomonosis free bull and the donor has never been subjected to natural breeding;

or

direct microscopic examination and culture of vaginal mucus for the presence of causative agent of Trichomonosis with negative result conducted within twenty one to sixty days after the embryo collection.

(iii) Paratuberculosis:

was kept in a Paratuberculosis free country since birth;

or

was subjected to Delayed Type Hypersensitivity Test (DTH) or Faecal Culture or Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) with negative result, within twenty one to sixty days after the embryo collection.

(iv) Schmallenberg virus infection:

was kept in a country where Schmallenberg virus infection has never been reported;

or

was subjected to a serological test Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) or Virus neutralization) with negative result, within twenty one to sixty days after the embryo collection.

- (3) The embryos have been collected by technicians under the supervision of a veterinarian, who is certified embryo transfer practitioner by the Government or Embryo Transfer (ET) Society or Association following hygienic and aseptic precautions in accordance with recommendation of the International Embryo Transfer Society (IETS).
- (4) The embryos have been processed in a laboratory having effective protection against rodents and insects. No embryo of a lesser health status is processed at the same time. The laboratory is under the direct control of a veterinarian and regularly inspected by an official veterinarian.
- (5) The embryo has been collected from donor which:-
- a) at the time of collection is inspected by a veterinarian and confirmed to be free of contagious and infectious diseases transmissible to cattle.
 - b) was born and is continuously residing in the exporting country(name of the country);

O

was born in a country(name of the country) having equal or better animal health status than the exporting country(name of the country) and has been legally imported into the exporting country for over past six months.

- (6) The embryos were held in liquid nitrogen for a minimum period of thirty days after collection.
- (7) The semen used to inseminate donor animals is derived from a donor bull that meets all the requirements mentioned in the veterinary certificate for import of bovine semen into India.

- (8) Zona pellucida of each embryo is examined over its entire surface area and found intact and free of adherent material and was washed and treated with Trypsin, according to World Organization for Animal Health (OIE) Terrestrial Animal Health Code.
- (9) The embryo collection, holding and freezing media are sterilized and free of microorganisms; and
- (10) The embryos are stored in sterile straws in new or sterilized liquid nitrogen containers and under strict hygienic conditions at a storage place, approved by the veterinary administration.
- (11) Straws are sealed at the time of freezing and labeled as per International Embryo Transfer Society (IETS) manual.
- (12) Details of the tests performed on the donor (a copy of test results is to be attached):

yow.	Bovine Tuberculosis			Trichomonosis	Paratuberculosis		Schmallenberg virus	
Donor Cow	Date on test 1	Date test 2	on	Test date	Test name	Test date	Test name	Test date
Dog		test 2			name		name	uaic

^{*}No testing is necessary in respect of diseases for which freedom status has been certified. Official Stamp:

Issued at on
Name and address of Veterinarian
Signature:

- (III) Post Import Requirements:
- (1) On arrival, the consignment and the documents will be examined by the Regional or Quarantine Officer.
- (2) On arrival into India, the samples may be collected for testing of diseases including Bovine Viral Diarrhoea, Infectious Bovine Rhinotracheitis and Brucellosis.
- (3) In case, the documents and tests are not conforming to the requirements and the embryos are not as per World Organization for Animal Health (OIE) specifications, appropriate action shall be taken by the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Government of India at the cost of importing agency

[F. No. 102-69/2007-Trade]

अधिसूचना नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2015

का.आ. 2657(अ).—केन्द्रीय सरकार, पशुपालन आयात अधिनियम, 1898 की धारा 3क द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और भारत राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित का. आ. 1496(अ), तारीख 5 सितंबर, 2007 द्वारा भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग की अधिसूचना को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, यह निर्देश देती है कि भारत में गोजातीय प्रशितित वीर्य का आयात इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में अधिकथित रीति और शर्तों से विनियमित होगा—

- (1) आयात केवल कोलकाता, चेन्नई और मुम्बई के समुद्र पत्तन तथा कोलकाता, चेन्नई, मुम्बई, दिल्ली, हैदराबाद और बंगलौर विमानपत्तन के माध्यम से अनुज्ञात किया जाएगा, जहां पशु करंतीन निरीक्षण सुविधा उपलब्ध है:
- (2) गोजातीय प्रशितित वीर्य का आयात देश में तब तक अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसे निर्यात करने वाले देश के सरकारी पशु चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित अंग्रेजी भाषा में स्वास्थ्य प्रमाणपत्र द्वारा प्रमाणित नहीं कर दिया गया हो । जो गोजातीय प्रशितित वीर्य अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और अपेक्षित जानकारी इस अधिसूचना से उपाबद्ध प्ररूप में दी गई है ।

प्ररूप

(क) साधारण जानकारी:

देश का नाम	
मंत्रालय या विभाग	
प्रांत या जिला	

(ख) दाता पशु संबद्ध जानकारी:

नाम	प्रजातियां	जन्म की तारीख	नस्ल	वंशावली		कृत्रिम	पहचान	संग्रहण	खुराकों	वीर्य
		और स्थान		पुस्तिका	में	गर्भाधान	चिन्ह या	की	की संख्या	का
				रजिस्ट्रीकृत		प्रयोजनों के	संख्या	तारीख		पैककृत
				प्रविष्टि		लिए पशु		तथा		आकार
						के		बैच सं.		
						अनमोदन				
						अनुमोदन की				

(ग) वीर्य की उत्पत्ति और गंतव्य:

1.	उत्पादक का नाम व पता (कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र)	अनुमोदन या प्रत्यायन संख्या
2.	अनुमोदनकारी प्राधिकारी का नाम	
3.	प्रेषक का नाम	
4.	संपर्क ब्यौरों सहित प्रेषिति का नाम और डाक पता	
5.	परिवहन के साधन	
6.	प्रेषण की तारीख	
7.	आयातकर्ता को जारी विदेश व्यापार महानिदेशालय, वाणिज्य मंत्रालय अनुज्ञप्ति संतारीख	

टिप्पण: उपरोक्त सभी साधारण जानकारी उत्पादक द्वारा उपलब्ध कराई जाए और निर्यातकर्ता देश के पशु चिकित्सक द्वारा पुष्ठांकित की जाए ।

(घ) स्वच्छता संबंधित जानकारी:

सरकारी पशु चिकित्सक प्रमाणित करता है कि दाता पशु –

- (I) संग्रहण के दिन और अगले तीस दिन तक रोग का कोई लक्षण नहीं दर्शाता है।
- (II) निम्नलिखित अपेक्षाओं को पूरा करता है –
- (क) (i) दाता पशु निर्यातकर्ता देश में जन्मा था और उसी देश में निरंतर निवास कर रहा है (देश का नाम) ; या
- (ii) दाता पशु निर्यातकर्ता देश (देश का नाम) की अपेक्षा समान या बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रास्थिति रखने वाले देश (देश का नाम) में जन्मा था,

(ख) खुरपका रोग (एफएमडी):

(i) खुरपका मुक्त देश या क्षेत्र जहां टीकाकरण नहीं किया जाता है या खुरपका मुक्त उपखंड(कम्पार्टमेंट) में, संग्रहण से पूर्व कम से कम तीन मास के लिए रखा गया था

या

(ii) खुरपका मुक्त देश या क्षेत्र जहां संग्रहण से पूर्व मास के भीतर कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र में मौजूद किसी अन्य पशु को टीका नहीं लगाया गया है, में संग्रहण से पूर्व कम से कम तीन मास के लिए रखा गया था ।

(ग) सांसर्गिक गोजातीय फुस्फुसावरण निमोनिया (सीबीपीपी):

जन्म से ही या कम से कम पिछले छह मास से सांसर्गिक गोजातीय फुस्फुसावरण निमोनिया (सीबीपीपी) मुक्त देश, जोन या डिब्बे में उपखंड रखा गया था ।

(घ) पिंडित चर्म रोग (एलएसडी):

पिंडित चर्म रोग (एलएसडी) रहित देश में संग्रहण से पूर्व कम से कम 28 दिन तक रखा गया था।

(ड.) गोजातीय क्षय रोग:

दाता पशु में वीर्य के संग्रहण के दिन गोजातीय क्षय रोग का कोई लक्षण नहीं था और या तो

(i) गोजातीय क्षय रोग मुक्त देश, क्षेत्र या उपखंड में कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र में रखा गया था और जो केवल मुक्त देश, क्षेत्र या उपखंड में झुंड मुक्त पशु को स्वीकार करता है

या

(ii) वार्षिक रूप से किए गए क्षय रोग संबंधी परीक्षणों में नकारात्मक परिणाम दशाएं हैं और गोजातीय क्षय रोग से मुक्त झुंड में रखा गया था

(च) गोजातीय ब्रुसिलोसिस:

जब किसी कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र से वीर्य लिया जाता है तो परीक्षण कार्यक्रम में संग्रहीत ब्रुसिला प्रतिजन और पूरक निर्धारण परीक्षण या एलीसा सम्मिलित है ;

जब वीर्य कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र से नहीं है तो दाता पश्:

गोजातीय ब्रुसिलोसिस से मुक्त देश या जोन में रखा गया था;

या

(i) शासकीय रूप से गोजातीय ब्रुसिलोसिस मुक्त झुंड में रखा गया था, वीर्य के संग्रहण के दिन गोजातीय ब्रुसिलोसिस का कोई नैदानिक लक्षण नहीं दर्शाया है और उन पर बफरर्ड ब्रुसिला एंटीजन परीक्षण या एंजाइम लिंक्ड एम्युनोसारबैंड एस्से(एलीसा) या फ्लोरोसेंस पोलोराइजेशन एस्से(एफपीए) किए गए थे जिनमें संग्रहण से पूर्व तीस दिनों के दौरान कोई नकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हुए;

या

(iii) गोजातीय ब्रुसिलोसिस मुक्त झुंड में रखा गया था, संग्रहण के दिन गोजातीय ब्रुसिलोसिस का कोई नैदानिक लक्षण नहीं दर्शाया है और उन पर बफरर्ड ब्रुसिला एंटीजन परीक्षण या एंजाइम लिंक्ड एम्युनोसारबैंड एस्से(एलीसा) या फ्लोरोसेंस पोलोराइजेशन एस्से(एफपीए) किए गए थे जिनमें संग्रहण से पूर्व तीस दिनों के दौरान कोई नकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हुए;

(छ) नीली जीभ (बीटी):

दाता पश्:

- (i) वीर्य के संग्रहण के प्रारंभ से पूर्व और संग्रहण के दौरान कम से कम साठ दिन तक नीली जीभ मुक्त देश या जोन या रोग वाहक संरक्षित स्थापन में रखा गया था ;
- (ii) उस पर बीटीवी में रोग प्रतिकारक का पता लगाने के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य (ओआईई) पार्थिव मेन्युअल के अनुसार सीरमीय परीक्षण किए गए थे जिसमें पूरी संग्रहण अवधि में कम से कम प्रत्येक साठ दिन और इस परेषण के लिए अंतिम संग्रहण के पश्चात् इक्कीस और साठ दिन के बीच कोई नकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हुए ;

या

(iii) इन पर इस परेषण के लिए वीर्य संग्रहण के प्रारंभ और उसके समापन पर संग्रहीत रक्त नमूने संबंधित ओआईई पार्थिव मेनुअल के अनुसार और कम से कम प्रत्येक सात दिन (विषाणु पृथक्करण परीक्षण) या कम से कम प्रत्येक बीस दिन पोलीमर्स चेन रिएक्शन टेस्ट(पीसीआर) रोग प्रतिकारक पहचान परीक्षण किया गया था कोई नकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हुआ।

(ज) ट्राइकोमोनोसिस:

- (क) (i) दाता पशु को कभी भी प्राकृतिक प्रजनन के लिए प्रयोग नहीं किया गया है;
 - (ii) दाता पशु ने केवल विशुद्ध बछड़ियों के साथ मैथुन किया है;

- (iii) दाता पशु को किसी ऐसे स्थापन या कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र में रखा गया था जहां ट्राइकोमोनोसिस का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है :
- (ख) दाता पश् पर शिश्नमुंड संवर्धन की सुक्ष्मदर्शी से परीक्षा की गई थी जिसमें नकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए ।

(झ) परा क्षयरोग:

- (क) पशु को ऐसे झुंड में रखा गया है जहां पिछले दो वर्षों में परा क्षयरोग का कोई मामला नहीं देखा गया है।
- (ख) पशु को वार्षिक रूप से विलंबित प्रकार के अति संवेदनशील डीटीएच, एलीसा विष्ठा संवर्धन परीक्षण किया गया था।

(অ) गोजातीय जनन संबंधी चक्रानुगामी जीवाणु रोधकता:

दाता पश्-

(क) (i) कभी भी गर्भस्थापन के लिए प्रयोग नहीं किया गया है

या

(ii) केवल विशुद्ध बछड़ियों के साथ मैथुन किया है;

या

- (iii) किसी स्थापन या कृत्रिम गर्भाधान में रखा गया है जहां गोजातीय जनन संबंधी चक्रानुगामी जीवाणुरोधकता का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है;
- (ख) गोजातीय जनन संबंधी चक्रानुगामी जीवाणुरोधकता के आकस्मिक अभिकरण की उपस्थिति के लिए वीर्य तथा शिश्नमुंड नमूनों का संवर्धन नकारात्मक साबित हुआ है।

(ट) संक्रामक गोजातीय राइनोट्टेक्सेटाइस:

(i) दाता पशु को वीर्य के संग्रहण के समय संक्रामक ब्रोंकाइटिस राइनोट्रेक्सेटाइस और झुंड मुक्त संक्रामक स्फोटपूर्ण भगयोनिशोथ में रखा गया था :

या

(ii) दाता पशु को संग्रहण की अवधि के दौरान और संग्रहण के बाद तीस दिन के लिए एकांतवास में रखा गया था तथा उन पर वीर्य के संग्रहण के पश्चात् कम से कम इक्कीस दिन तक लिए गए रक्त के नमूने पर आईवीआर या आईपीवी संबंधी नैदानिक परीक्षण किए गए थे जिनके नकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए ;

या

(iii) यदि सांड की सीरमीय प्रास्थिति का पता नहीं है या यदि सांड सीरमीय रूप से सकारात्मक है, प्रत्येक वीर्य संग्रहण के अवशेष भाजक पर वायरस पृथक्करण परीक्षण या पीसीआर किया गया था जिसके परिणाम नकारात्मक प्राप्त हुए ।

(ठ) पशु स्थानिक गोजातीय ल्यूकोशिस (ईबीएल):

(i) दाता सांड ईबीएल मुक्त झुंड में वीर्य संग्रहण के समय निवास करता था;

और

(iii) यदि उसकी आयु दो वर्ष से कम है तो सांड सीरमीय रूप से नकारात्मक यूटीरीन डैम से आया है ।

(iii) सांड पर दो अवसरों पर रक्त नमूनों संबंधी ईबीएल के लिए नैदानिक परीक्षण किए गए थे जिनके परिणाम नकारात्मक प्राप्त हुए । पहला परीक्षण वीर्य संग्रहण के कम से कम तीस दिन पहले और दूसरा परीक्षण वीर्य संग्रहण के कम से कम नब्बे दिन बाद किया गया था:

(ड) लेप्टोस्पायरोसिस:

दाता पशु का वीर्य उत्पादक देश में पशु में विद्यमान लेप्टोसपायरस के सभी सेरोवर्स के लिए वार्षिक रूप से परीक्षण किया गया था और जिन्हें सकारात्मक पाया गया उन्हें या तो हटा दिया गया या उनका पूर्ण उपचार किया गया था ।

(ढ) गोजातीय वायरल डायरिया(बीवीडी):

दाता सांड को निम्नलिखित के अधीन रखा गया था –

(i) पूर्व प्रविष्टि एकांतवास परीक्षण में प्रवेश करने से पूर्व:

पशु पर वायरस अलगाव परीक्षण या वायरस प्रतिजन संबंधी परीक्षण किया गया था जिसके परिणाम नकारात्मक पाए गए और उसे प्रत्येक पशु की सीरमीय प्रास्थिति का अवधारण करने के लिए सीरमीय परीक्षण किया गया था ।

(ii) वीर्य संग्रहण सुविधाओं मे प्रवेश करने से पूर्व प्रवेश एकांतवास सुविधा में परीक्षण:

- (क) पशु पर वायरस एकांतवास परीक्षण या वायरस प्रतिजन संबंधी परीक्षण किया गया है जिसके परिणाम नकारात्मक पाए गए । केवल उस समय पूर्व प्रवेश एकांतवास में सभी पशुओं में नकारात्मक परिणाम हैं, उनको वीर्य संग्रहण सुविधाओं में प्रवेश दिया जा सकता है ।
- (ख) सभी पशुओं पर गोजातीय वायरल डायरिया (बीवीडी) रोग प्रतिकारक की उपस्थिति या अनुपस्थिति का अवधारण करने के लिए सीरमीय परीक्षण किया गया है ।
- (ग) केवल यदि उन पशुओं में, जिनका पूर्व प्रवेश एकांतवास सुविधा में प्रवेश करने से पूर्व सीरमीय परीक्षण नकारात्मक है, सीरमीय संपरिवर्तन नहीं होता है तो वीर्य संग्रहण सुविधाओं (सीरमीय नकारात्मक या सीरमीय सकारात्मक) में प्रवेश अनुज्ञात किया जा सकेगा ।
- (घ) यदि सीरमीय संपरिवर्तन होता है तो ऐसे सभी पशु जो सीरमीय नकारात्मक रहते हैं, पूर्व प्रवेश एकांतवास में तब तक रखे जाने चाहिए जब तक कि तीन सप्ताह की अवधि के लिए समूह में कोई और सीरमीय संपरिवर्तन नहीं होता है । सीरमीय रूप से सकारात्मक पशुओं को वीर्य संग्रहण सुविधाओं में प्रवेश अनुज्ञात किया जा सकता है ।

(iii) वीर्य संग्रहण स्विधाओं में सांड और छेड़छाड़ करने वाले कारको के लिए परीक्षण कार्यक्रम:

- (क) पशु पूर्वतर सीरमीय परीक्षणों के प्रति नकारात्मक हैं और रोग प्रतिकारकों की अनुपस्थिति की पुष्टि करने के लिए उसका पुन: परीक्षण किया गया है ।
- (ख) यदि पशु सीरमीय रूप से सकारात्मक बन जाता है, तो गत नकारात्मक परीक्षण के समय से ही संग्रहीत उस पशु का प्रत्येक स्खलन या तो फैंक दिया जाएगा या नकारात्मक परिणामों सहित वायरस के लिए उस पर परीक्षण किया जाएगा ।

(iv) प्रत्येक सारमीय रूप से सकारात्मक सांड से प्राप्त वीर्य के आरंभिक प्रेषण से पूर्व बीवीडी संबंधी परीक्षण:

बोवाइन वायरल डायरिया (बीवीडी) सीरमीय रूप से सकारात्मक सांडों से प्राप्त वीर्य के आरंभिक प्रेषण से पूर्व प्रत्येक पशु से प्राप्त वीर्य नमूना पर बीवीडी के लिए वायरस पृथक्करण या वायरस प्रतिजन परीक्षण किया जाएगा । सकारात्मक परिणाम की दशा में सांड को केन्द्र से हटा दिया जाएगा और उससे संग्रहीत सारा वीर्य नष्ट कर दिया जाएगा ।

(ण) **श्मालेनबर्ग**:

(i) दाता पशु को जन्म से ही उस देश में रखा गया था जहां श्मालेनबर्ग वायरस को कभी रिकार्ड ही नहीं किया गया है,

या

(ii) वीर्य को 1.6.2011 से पहले संग्रहीत किया गया है

या

(iii) दाता पशुओं पर श्मालेनबर्ग वायरस (एसबीवी) के रोग प्रतिकारक का पता लगाने के लिए सीरमीय परीक्षण इस प्रेषण के लिए अंतिम संग्रहण के कम से कम इक्कीस दिन पश्चात् किए गए थे जिनके परिणाम नकारात्मक थे ।

(त) वेसीकुलर स्टोमाटाइटिस (वीएस):

(I) पशु को जन्म से या लदान से कम से कम तीस दिन पूर्व के लिए वेसीकुलर स्टोमाटाइटिस (वीएस) मुक्त देश या जोन में रखा गया था;

या

(॥) पशु को वीर्य संग्रहण से इक्कीस दिन पूर्व तथा संग्रहण के दौरान ऐसे स्थापन में रखा गया था जहा उस अवधि के दौरान वेसीकुलर स्टोमाटाइटिस (वीएस) का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया तथा वीर्य संग्रहण से पहले इक्कीस दिन के भीतर वेसीकुलर स्टोमाटाइटिस (वीएस) संबंधी नैदानिक परीक्षण किया गया था जिसमें नकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए।

टिप्पण: ऊपर वर्णित नैदानिक परीक्षण ऐसे देश के लिए आवश्यक नहीं हैं जो इन बीमारियों से मुक्त है (रोग मुक्त प्रास्थिति के लिए देश से एक पृथक् प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी) । कृपया परीक्षण रिपोर्टें भी उपलब्ध कराएं । पैरा घ(।।) में दी गई अपेक्षा के अनुसार किए जाने वाले परीक्षण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए परीक्षणों की विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (ओआईई) सूची के अनुसार हैं।

- (III) वीर्य ऐसे वीर्य संग्रहण केन्द्र से ही आता है जिसे निर्यात करने वाले देश द्वारा प्रत्यायित और अनुमोदित किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय डेज इपीजुटिस के कार्यालय के टेरस्ट्रीयल पशु स्वास्थ्य कोड "वीर्य संग्रहण और प्रसंस्करण केन्द्रों में सामान्य स्वच्छता" के उपबंधों के अनुसार संग्रहीत किया गया है, उसका प्रबंध किया गया है, और प्रसंस्कृत किया गया तथा अंतर्राष्ट्रीय डेज इपीजुटिस के कार्यालय के टेरस्ट्रीयल पशु स्वास्थ्य कोड अध्याय (गोजातीय लघु जुगाली और शूकरीय वीर्य का संग्रहण और प्रसंस्करण) के उपबंधों के अनुसार प्रसंस्कृत किया गया।
- (IV) वीर्य के संग्रहण के पश्चात् प्रतिजैविकी को अंतर्राष्ट्रीय डेज इपीजुटिस के कार्यालय के टेरस्ट्रीयल पशु स्वास्थ्य कोड अध्याय "गोजातीय लघु जुगाली और शूकरीय वीर्य का संग्रहण और प्रसंस्करण" के अनुसार मिलाया गया है। (वीर्य में मिलाए गए सांद्र एंटीबायोटिक की सूची उपलब्ध कराएं।
- (V) वीर्य का ऐसे आधानों में अभिगमन किया जाता है जो निर्यात करने वाले देश (देश का नाम) के सरकारी पदाधिकारियों स्वीकार्य रीति में नए या रोगाणुरहित हैं और आधान के बारे में यह ज्ञात नहीं है कि उसमें रोगजनक सूक्ष्मजैविक अंतर्विष्ट हैं।
- (VI) वीर्य संग्रहण के समय दाता पशु ने वीर्य संग्रहण केन्द्र में निवासी झुंड में प्रवेश के लिए आवश्यक सभी पूर्व एकांतवास और एकांतवास परीक्षण उत्तीर्ण कर लिया था और इन परीक्षणों के आरंभ करने के समय से ही प्राकृतिक मैथुन के लिए प्रयोग नहीं किया गया था।

शासकीय मुहर	
को	जारी किया गया

हस्ताक्षर पशु चिकित्सक का नाम और पता
 रजिस्ट्रीकरण संख्या ई-मेल संपर्क नंबर

(इ.) पश्च आयात अपेक्षाएं:

- (1) भारत में पहुंचने पर परेषण और दस्तावेजों की संबद्ध क्षेत्रीय अधिकारी या करंतीन अधिकारी द्वारा जांच की जाएगी।
- (2) वीर्य परेषणों से लिए गए नमूने को बुवाइन, वायरल, डायरिया, संक्रामक, ब्रांकाइटिस, राइनोट्रचेइटिस और ब्रूसोलोसिस जैसी बीमारियों सहित परीक्षण के लिए ले जाए जा सकते हैं।
- (3) यदि करंतीन केन्द्रों पर दस्तावेज और परीक्षण, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के अनुसार अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं और वीर्य अंतर्राष्ट्रीय डेज इपीजुटिस के कार्यालय कोड के विनिर्देशों के अनुसार नहीं हैं, तो आयात करने वाले अभिकरण के खर्चे पर पशु पालन डेयरी और मत्स्य पालन विभाग, भारत सरकार द्वारा समुचित कार्रवाई की जाएगी।

[फा. सं. 102-69/2007-ट्रेड]

राजबीर सिंह राणा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2015

S.O. 2657(E).—In exercise of the powers conferred by section 3A of the Livestock Importation Act, 1898 and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Agriculture, Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries *vide* number S.O.1496 (E) dated the 5th September, 2007 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that the import of bovine frozen semen into India shall be regulated in the manner laid down in the Schedule annexed to this notification and subject to the conditions—

SCHEDULE

- (1) that the imports shall be allowed only through the sea ports of Kolkata, Chennai, Mumbai and airports of Kolkata, Chennai, Mumbai, Delhi, Hyderabad and Bangalore where animal quarantine inspection facilities are available;
- (2) that no import of bovine frozen semen shall be allowed into the country unless certified by a certificate of health in English language signed by an official veterinarian of the exporting country in which bovine frozen semen fulfil requirements and the requisite information is provided in the Form annexed to this notification.

Form

(A). General Information:

Name of the Country	
Ministry or Department	
Province or District	

(B). Information concerning the donor animal:

Name.	Species.	Date and Place of birth.	Registered entry in the herd or stud	Date of approval of animal for artificial	Identification mark or number.	Date of collection and batch number.	Number of doses.	Packed size of semen.
		onui.	book.	insemination purposes.		number.		

(C). Origin and Destination of the semen:

1	Name and Address of the Producer	Approval or Accreditation number					
	(Artificial Insemination Centre):						
2.	Name of the Approving Authority:						
3.	Name of the consignor:						
4	Name and Postal Address of the consignee with contact details:						
5.	Means of Transport:						
6	Date of Dispatch:						
7	License No. Date	. (issued by					
	Directorate General of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Government of India to the importer).						

Note: All the above general information may be provided by producer and endorsed by the official veterinarian of the exporting country.

(D). Sanitary Information:

The Official Veterinarian certifies that the donor animal -

- (I) shows no sign of diseases on the day of collection and for the following thirty days.
- (II) satisfies the following requirements:
- (a) (i) The donor animal was born in and is continuously residing in the exporting country (name of the country);

or

(ii) The donor animal was born in a country (name of the country) having equal or better animal health status than the exporting country (name of the country).

(b) Foot and mouth disease (FMD):

(i) was kept for at least three months prior to collection in an FMD free country or zone where vaccination is not practiced or a FMD free compartment.

or

(ii) was kept for at least three months prior to collection in an FMD free country or zone where no other animal present in the artificial insemination centre has been vaccinated within the month prior to collection.

(c) Contagious bovine pleuro pneumonia (CBPP):

was kept in a CBPP free country, zone or compartment since birth or for at least the past six months.

(d) Lumpy skin disease (LSD):

was kept for at least twenty eight days prior to collection in an LSD free country.

(e) Bovine tuberculosis:

The donor animal showed no signs of bovine tuberculosis on the day of collection of the semen; and either-

 (i) kept in an artificial insemination centre free from bovine tuberculosis in a country, zone or compartment free from bovine tuberculosis and which only accepts animal from free herds in a free country, zone or compartment.

or

(ii) showed negative results to tuberculin tests carried out annually and were kept in a herd free from bovine tuberculosis.

(f) Bovine brucellosis:

When the semen is sourced from an artificial insemination centre, the testing programme includes the Buffered Brucella Antigen and Complement Fixation tests or Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA):

when the semen is not from an artificial insemination centre, the donor animal-

(i) was kept in a country or zone free from bovine brucellosis;

or

(ii) was kept in a herd officially free from bovine brucellosis, showed no clinical sign of bovine brucellosis on the day of collection of the semen and was subjected to a Buffered Brucella Antigen Test or Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) or Fluroscence Polarizaion Assay (FPA) with negative results during the thirty days prior to collection;

or

(iii) was kept in a herd free from bovine brucellosis, showed no clinical sign of bovine brucellosis on the day of collection and was subjected to the buffered Brucella antigen and Complement Fixation Tests or Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) or Fluroscence Polarizaion Assay(FPA) with negative results during the thirty days prior to collection.

(g) Blue tongue (BT):

The donor animal-

(i) was kept in a Blue tongue (BT) free country or zone or vector protected establishment for at least sixty days before commencement of, and during, collection of the semen;

or

(ii) was subjected to a serological test according to the World Organization for Animal Health (OIE) Terrestrial Manual to detect antibody to the BTV group, with negative results, at least every sixty days throughout the collection period and between twenty one and sixty days after the final collection for this consignment;

or

(iii) was subjected to an Agent identification test according to the World Organization for Animal Health (OIE) Terrestrial Manual on blood samples collected at commencement and conclusion of, and at least every seven days (virus isolation test) or at least every twenty eight days Polymerase Chain Reaction test (PCR) during, semen collection for this consignment, with negative results.

(h) Trichomonosis:

(a) (i) The donor animal has never been used for natural service;

OI

(ii) The donor animal has only mated virgin heifers;

- (iii) The donor animal was kept in an establishment or artificial insemination centre where no case of trichomonosis has been reported;
 - (b) The donor animal was subjected to microscopic examination of a culture of prepeutial washing with negative results.

(i) Paratuberculosis:

- (a) The animal has been kept in a herd where no case of Paratuberculosis has been observed in last two years.
- (b) The animal was annually subjected to Delayed Type Hypersensitivity (DTH) or Enzyme Linked Immunosobent Assay (ELISA) or Faecal Culture Test.

(j) Bovine genital campylobacteriosis:

The donor animal -

(a) (i) has never been used for natural service;

or

(ii) has only mated virgin heifers;

or

- (iii) was kept in an establishment or artificial insemination centre where no case of bovine genital campylobacteriosis has been reported;
- (b) the culture of semen and preputial specimens for the presence of the causal agent of bovine genital campylobacteriosis proved negative.

(k) Infectious bovine rhinotracheitis:

(i) The donor animal was kept in an Infectious Bronchitis Rhinotracheitis and Infectious pustular vulvo-vaginitis (IBR/ IPV) free herd at the time of collection of the semen;

or

(ii) The donor animal was held in isolation during the period of collection and for the thirty days following collection and was subjected to a diagnostic test for Infectious Bronchitis rhinotracheitis and Infectious pustular vulvo-vaginitis (IBR/ IPV) on a blood sample taken at least twenty one days after collection of the semen, with negative results;

or

(iii) if the serological status of the bull is unknown or if the bull is serologically positive, an aliquot of each semen collection was subjected to a virus isolation test or Polymerase Chain Reaction (PCR), with negative results.

(I) Enzootic bovine leucosis (EBL):

(i) The donor bull was resident at the time of semen collection in an EBL free herd;

and

(ii) If less than two years of age, the bull came from a serologically negative 'uterine' dam;

or

(iii) The bull was subjected to diagnostic tests for EBL on blood samples on two occasions with negative results, the first test being carried out at least thirty days before and the second test at least ninety days after collection of the semen.

(m) Leptospirosis:

The donor animal has been annually tested against all serovars of leptospires prevalent in cattle in semen producing country and those found positive are either removed or given a complete treatment.

(n) Bovine viral diarrhoea (BVD):

The donor bull has been subjected to the following:

(i) Prior to entering Pre-entry isolation testing:

The animal has been subjected to a virus isolation test or a test for virus antigen, with negative results; and a serological test to determine the serological status of every animal.

(ii) Testing in the Pre-entry isolation facility prior to entering the semen collection facilities:

- (a) The animal has been subjected to a virus isolation test or a test for virus antigen, with negative results. Only when all the animals in pre-entry isolation have had negative results, may enter the semen collection facilities.
- (b) All animals have been subjected to a serological test to determine the presence or absence of Bovine viral diarhhoea (BVD) antibodies.
- (c) Only if no sero-conversion occurs in the animals which are tested sero-negative before entry into the pre-entry isolation facility, may (sero-negative or sero-positive) be allowed an entry into the semen collection facilities.
- (d) If sero-conversion occurs, all the animals that remain sero-negative should be kept in pre-entry isolation until there is no more sero-conversion in the group for a period of three weeks. Serologically positive animals may be allowed entry into the semen collection facilities.

(iii) Testing programme for bulls and teasers resident in the semen collection facilities:

- (a) Animals are negative to previous serological tests and have been retested to confirm absence of antibodies.
- (b) If an animal becomes serologically positive, every ejaculate of that animal collected since the last negative test shall be either discarded or tested for virus with negative results.

(iv) Testing for BVD prior to the initial dispatch of semen from each serologically positive bull:

Prior to the initial dispatch of semen from Bovine viral diarrhoea (BVD) serologically positive bull, a semen sample from each animal shall be subjected to a virus isolation or virus antigen test for Bovine viral diarrhoea. In the event of a positive result, the bull shall be removed from the centre and all the semen collected from it be destroyed.

(o) Schmallenberg:

(i) The donor animal was kept since birth in a country where Schmallenberg Virus has never been recorded;

or

(ii) The semen has been collected before 01.06.2011;

or

(iii) The donor animal was subjected to a serological test to detect antibodies to Schmallenberg Virus (SBV), with negative results, at least twenty one days after the final collection for this consignment.

(p) Vesicular stomatitis (VS):

The animal was kept in a Vesicular Stomatitis (VS) free country or zone since birth or for at least thirty days prior to the shipment;

or

The animal was kept for twenty one days prior to, and during, collection in an establishment where no case of Vesicular stomatitis (VS) was reported during that period; and was subjected to a diagnostic test for Vesicular stomatitis (VS), with negative results, within the twenty one days prior to semen collection.

Note: The diagnostic tests described above are not necessary for the country which is free from these diseases (A separate certificate from the country towards disease free status shall be required). Please provide the

testing reports also. The tests to be conducted as per the requirement under para D (II) are as per the World Organization for Animal Health (OIE) list of tests for international trade.

- (III) The semen comes from a semen collection centre that is accredited and approved by the exporting country and has been collected, handled or processed in accordance with the provisions of the Terrestrial Animal Health Code of the Office International Des Epizooties Chapter "General hygiene in semen collection and processing centres" and processed in accordance with the provisions of the Terrestrial Animal Health Code of Office of the International Des Epizootics Chapter "Collection and processing of bovine, small ruminant and porcine semen".
- (IV) After collection of semen, antibiotics have been added in accordance with the Terrestrial Animal Health Code of the Office of the International Des Epizootics Chapter "Collection and processing of bovine, small ruminant and porcine semen". (*Provide the list of antibiotics with concentration added in the semen*).
- (V) The semen is transported in container that is new or sterilized in a manner acceptable to Government officials of the exporting country (*name of the country*) and the container is not known to contain pathogenic micro-organisms.
- (VI) At the time of semen collection, the donor animal had passed all pre-isolation and isolation tests needed for entry into the resident herd at the semen collection centre and had not been used for natural mating since the initiation of these tests.

Official stamp:	
Issued at on	
	Signature
	Name and address of Veterinarian
	Registration No.
	Email. Contact No.

(E) POST IMPORT REQUIREMENTS:

- (1) On arrival in India, the consignment and the documents shall be examined by the Regional Officer or Ouarantine Officer concerned.
- (2) Samples from semen consignments may be taken for testing including the diseases like Bovine viral diarrhoea, Infectious bronchitis rhinotracheitis and Brucellosis.
- (3) In case the documents and tests at the quarantine stations are not conforming to the requirements as per the health certificate and the semen is not as per Office International Des Epizooties Terrestrial Animal Health Code specifications, appropriate action shall be taken by the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries, Government of India at the cost of importing agency.

[F. No. 102-69/2007-Trade] RAJBIR SINGH RANA, Jt. Secy.